

सं0 5/20/2016-रा0भा0(सेवा)  
भारत सरकारगृह मंत्रालय/  
राजभाषा विभाग  
\*\*\*

एनडीसीसी—II (नई दिल्ली सिटी सेंटर भवन),  
बी विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड,  
नई दिल्ली-110001

दिनांक २२ फरवरी, 2018


कार्यालय आदेश

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के निम्नलिखित वरिष्ठ अनुवादकों को तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सामने दर्शाए गए मंत्रालय/विभाग में स्थानांतरित किया जाता है -:

| क्र.सं. | नाम                     | वर्तमान कार्यालय                 | तैनाती का कार्यालय               |
|---------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1       | श्री ओम प्रकाश द्विवेदी | पेंशन एवं पेंशनभागी कल्याण विभाग | केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण      |
| 2       | श्री अमित               | पंचायती राज मंत्रालय             | मंत्रिमण्डल सचिवालय              |
| 3       | सुश्री संजीला यादव      | केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण      | पंचायती राज मंत्रालय             |
| 4       | सुश्री पूर्णिमा बोस     | मंत्रिमण्डल सचिवालय              | पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग |

2 यह कार्यालय आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त वरिष्ठ अनुवादकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते हुए उनकी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निदेश दें। इनकी सेवापंजी एपीसी इत्यादि दस्तावेज संबंधित मंत्रालयों/विभागों में सीधे ही भिजवा दें।



(बी. एल. मीना)

उप सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष : 2343 8002

सेवा में

1. श्री ओम प्रकाश द्विवेदी, वरिष्ठ अनुवादक, पेंशन एवं पेंशनभागी कल्याण विभाग, नई दिल्ली। कृपया केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली में शीघ्र कार्यभार ग्रहण करें।
2. श्री अमित, वरिष्ठ अनुवादक, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली। कृपया मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली में शीघ्र कार्यभार ग्रहण करें।
3. सुश्री संजीला यादव, वरिष्ठ अनुवादक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली। कृपया पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली में शीघ्र कार्यभार ग्रहण करें।
4. सुश्री पूर्णिमा बोस, वरिष्ठ अनुवादक, मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली। कृपया पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली में शीघ्र कार्यभार ग्रहण करें।
5. अवर सचिव (प्रशा. / स्था.), पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003, को सुश्री पूर्णिमा बोस, वरिष्ठ अनुवादक के संबंध में सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि श्री ओम प्रकाश द्विवेदी, वरिष्ठ अनुवादक से संबंधित सभी कागजात और इनकी सेवापंजी/एलपीसी इत्यादि संबंधित दस्तावेज केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110066 को सीधे ही भिजवाने की व्यवस्था करें।
6. अवर सचिव (प्रशासन), पंचायती राज मंत्रालय, 11वां तल, जीवन प्रकाश भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को सुश्री संजीला यादव, वरिष्ठ अनुवादक के संबंध में सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि श्री अमित, वरिष्ठ अनुवादक से संबंधित सभी कागजात और इनकी सेवापंजी/एलपीसी इत्यादि संबंधित दस्तावेज मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली - 110001 को सीधे ही भिजवाने की व्यवस्था करें।

7. अनुभाग अधिकारी (प्रशासन), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110066 को श्री ओम प्रकाश द्विवेदी, वरिष्ठ अनुवादक के संबंध में सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि सुश्री संजीला यादव, वरिष्ठ अनुवादक से संबंधित सभी कागजात और इनकी सेवापंजी/एलपीसी इत्यादि संबंधित दस्तावेज़ पंचायती राज मंत्रालय, 11वां तल, जीवन प्रकाश भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को सीधे ही भिजवाने की व्यवस्था करें।
8. अवर सचिव (प्रशासन-1), मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली - 110001 को श्री अमित, वरिष्ठ अनुवादक के संबंध में सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि सुश्री पूर्णिमा बोस, वरिष्ठ अनुवादक से संबंधित सभी कागजात और इनकी सेवापंजी/एलपीसी इत्यादि संबंधित दस्तावेज़ पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003 को सीधे ही भिजवाने की व्यवस्था करें।
9. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003।
10. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, पंचायती राज मंत्रालय, 11वां तल, जीवन प्रकाश भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001।
11. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली - 110066।
12. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, मंत्रिमण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली - 110001।
13. श्री केवल कृष्ण, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक। कृपया इस कार्यालय आदेश को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।